



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168866

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-

7655/2026

कुलदीप पाण्डेय

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता

: पुनीत कुमार

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- श्री पुनीत कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- प्रस्तुत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 160 वर्ष 2026, धारा 131, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 191(2), 118(2), 238 बी.एन.एस., थाना-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 13.04.2026 को पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, जो सह-अभियुक्त अंकुश, अंकित,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आशीष एवं गौतम की पुत्री के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। विवेचना के दौरान आवेदक का नाम घायल के कथन में प्रकाश में आया है। घटना में कथित रूप से चार व्यक्तियों को चोटें आई थीं, तथापि उनकी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध धारा 109(1) बी.एन.एस. का कोई अपराध नहीं बनता है और अपराध धारा 115(2) बी.एन.एस. तथा धारा 118(2) बी.एन.एस. से आगे नहीं जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को अभिरक्षा में बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 109(1) बी.एन.एस. का गलत रूप से प्रयोग किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि नामित अभियुक्त अंकित सिंह एवं आशीष सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 24.06.2026 के आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस. संख्या 5176 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का प्रकरण उक्त सह-अभियुक्तों की अपेक्षा और अधिक बेहतर स्थिति में है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा जब भी विवेचक अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यात्मक पक्ष का खंडन नहीं किया।

5- मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर जाने आदि पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय सामान्यतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

7- **सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा अथवा समन का अनुपालन नहीं करेगा और अभियुक्त ने वास्तव में पूरे समय विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त आनुषंगिक तथ्यों एवं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

9- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

- (i) उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक-**कुलदीप पाण्डेय** की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के अधीन रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा।
- (ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचक अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित किया जाए, विवेचक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विमुख करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा।
- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचक अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त कराने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

12 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”